

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/2020/28

दिनांक: 04.03.2020

आदेश

राज्य में मौसमी बिमारियों एवं कोरोना वायरस (COVID-19) की स्थिति के मध्यनजर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नियंत्रण, रोकथाम की कार्यवाही की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग रोजाना (Daily) सांय: 05.00 बजे RHSDP हॉल में की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि इस समीक्षा बैठक में निदेशालय में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

इसके साथ ही समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर विशेषकर कोरोना वायरस (COVID-19) के लक्षण युक्त पाये जाने वाले मरीजों की प्रभावी स्क्रीनिंग की जाकर भारत सरकार (NCDC) की गाईड-लाईन्स अनुसार नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार/आईईसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा संदिग्ध (Suspected) केस पाये जाने पर नजदीकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर की कार्यवाही करें।

(डॉ० के०के० शर्मा)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/2020/28

दिनांक: 04.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एमएचएम, मुख्यालय।
5. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक (आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10. समस्त अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
11. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/आरसीएच/चिप्र/ग्रा0स्वा0/राजपत्रित), मुख्यालय।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- राजस्थान।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
15. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।